पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 ई0 (भाद्रपद 12, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–36

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	447–452	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	645–654	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	31–33	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	217–222	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पेयजल अनुभाग–1

अधिसूचना

07 नवम्बर, 2015 ई0

संख्या 1349/उन्तीस–1/2015/(41 अधि0)/2014–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था अधिनियम, 1975 (अधिनियम संख्या 43, वर्ष 1975) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 97 की उपधारा (2) के खण्ड (ड़) तथा सपठित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 31 के उपनियम (6) तथा नियम 43 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की ओर से संविदाओं और हस्तान्तरण विलेखों और सम्पत्ति के निष्पादन के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से एतद्द्वारा संलग्न कार्य निर्देशिका प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Aritcle 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 1349/XXIV/2015/(41 Adhi.)/2014**, dated November 07, 2015 for general information :

NOTIFICATION

November 07, 2015

No. 1349/XXIV/2015/(41 Adhi.)/2014--In exercise of the power conferred by sub-rule (6) of rule 31 and clause (h) of rule 43 of the Uttarakhand Procurement Rules, 2008 read with clause (e) of sub-section (2) of section 97 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewage Act, 1975 (Act No. 43 of 1975), (which is applicable in State of Uttarakhand) the Governor is pleased to hereby promulgate the annexed Working-Manual for execution of contract and conveyance deeds and property on behalf of Uttarakhand Payjal Sansadhan Vikas and Nirman Nigam from the date of the publication of this notification.

By Order,

S. Raju,

Additional Chief Secretary.

कार्मिक अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

02 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 1851/XXX–1–16–25(4)/2008TC–उत्तराखण्ड राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के ज्येष्ठ वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 में कार्यरत अधिकारियों को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 में उल्लिखित प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 386/XXX–1–2013–25(4)2008TC, दिनांक 14.05.2013 द्वारा दिनांक 31.03.2013 से सेवा में एक बार के लिये प्रदत्त शिथिलीकरण के क्रम में एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 1117/XXX–1/2016–25(8)2005TC, दिनांक 17.06.2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार अग्रसारित अधिकारियों को दिनांक 31.03.2013 से चयन श्रेणी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100+ग्रेड पे ₹ 7,600 में पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रम सं0	नाम अधिकारी	क्रम सं0	नाम अधिकारी
1.	श्री ललित मोहन	16.	श्री प्रकाश चन्द्र
2.	डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव	17.	सुश्री दीप्ति सिंह
3.	श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल	18.	श्री भगवत किशोर मिश्र
4.	श्री संजय कुमार	19.	श्री हंसादत्त पाण्डे
5.	श्री नवनीत पाण्डे	20.	श्री उदय सिंह राणा
6.	डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट	21.	श्री बंशी लाल राणा
7.	श्री गिरधारी सिंह रावत	22.	श्री नरेन्द्र सिंह
8.	श्री आलोक कुमार पाण्डेय	23.	श्री हरक सिंह रावत
9.	श्री बंशीधर तिवारी	24.	श्री मनमोहन सिंह
10.	सुश्री रूचि तिवारी	25.	श्री प्रताप सिंह शाह
11.	सुश्री झरना कमठान	26.	श्री भरतलाल फिरमाल
12.	सुश्री रवनीत चीमा	27.	श्री भवान सिंह चलाल
13.	श्री विनोद गिरी गोस्वामी	28.	श्री चन्द्र सिंह धर्मशक्तू
14.	श्री प्रशान्त कुमार आर्य	29.	श्री जीवन सिंह नगन्याल
15.	श्री आशीष कुमार भटगॉई	30.	श्री प्रवेश चन्द्र डंडरियाल

2. उपरोक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित अधिकारियों के क्रमांक का ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्तानुसार प्रोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 2779/2012, श्री विनोद गिरी गोस्वामी बनाम राज्य व अन्य, एस0एल0पी0 संख्या 9910–9911/2012, प्रशान्त कुमार आर्य बनाम राज्य व अन्य, एस0एल0पी0 संख्या 6847–6848/2012, ललित मोहन रयाल एवं अन्य तथा एस0एल0पी0 संख्या 9885–9886/2012, वंशीधर तिवारी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–4

विज्ञप्ति/नियुक्ति

05 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 356/XXX(4)/2016–04(13)/2016–उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को 'उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम–20 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति करके, नियुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पदोन्नत अधिकारी उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में कार्यभार ग्रहण करेंगे:–

1. श्रीमती अर्चना सागर – हरिद्वार,
2. श्री ओम कुमार – अल्मोड़ा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

अधिसूचना

09 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 357/XXX(4)/2016–04(01)/2015–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सुश्री कहकशा खान, जिला जज, चमोली, उत्तराखण्ड का विवाह दिनांक 06.09.2015 को श्री जमील अहमद, निवासी गुज्जर नगर, जम्मू से धार्मिक रीति–रिवाज के साथ सम्पन्न होने के उपरान्त श्री राज्यपाल महोदय, सुश्री कहकशा खान को भविष्य में अपना नाम श्रीमती कहकशा खान पत्नी श्री जमील अहमद लिखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना / आदेश

01 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 167 / 2016 / XXVII(9) / स्टाम्प–40 / 2010–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 27, 47–क एवं 75 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश स्टॉम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड स्टॉम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2016

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टॉम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. नियम 3 में संशोधन :

उत्तर प्रदेश स्टॉम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997, (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में नियम / उपनियम 3 (क) (1), 3(छ) (2) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

स्तम्भ–1 *विद्यमान उप नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम*
3 (क)(1)(3)(छ)(दो)–वाणिज्यिक भवन की स्थिति में, केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित / नियत (यथासंशोधित अनुमोदित / नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित वाणिज्यिक भवन की प्रति वर्गमीटर न्यूनतम दर, जिसमें वाणिज्यिक भवन की भूमि एवं भवन के किराये की दर सम्मिलित होगी तथा जिसके आधार पर किराये की दर निकाली जाती है, का सूत्र निम्नवत् होगा:– (दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की क्षेत्रवार निर्धारित प्रति वर्गमीटर की दर)– (अकृषि भूमि की क्षेत्रवार निर्धारित प्रति वर्गमीटर की दर × 2) / 300	3 (क)(1)(3)(छ)(दो)–वाणिज्यिक भवन की स्थिति में, केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य को केन्द्रीय मूल्यांकन समिति के द्वारा अनुमोदित / नियत (यथासंशोधित अनुमोदित / नियत) किये जाने के उपरान्त जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रख्यापित वाणिज्यिक भवन की प्रति वर्गमीटर न्यूनतम दर, जिसमें वाणिज्यिक भवन की भूमि एवं भवन के किराये की दर सम्मिलित होगी तथा जिसके आधार पर किराये की दर निकाली जाती है, का सूत्र निम्नवत् होगा:– (दुकान / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की क्षेत्रवार निर्धारित प्रति वर्गमीटर की दर)– (अकृषि भूमि की क्षेत्रवार निर्धारित प्रति वर्गमीटर की दर × 1.10) / 300

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

02 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 615/2016/05(100)/XXVII(8)/02T.C.–आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2620/आयु0क0उत्तरा0/स्था0अनु0/2016–17/वाणि0कर/दे0दून, दिनांक 09.07.2016 पर सम्यक् विचारोपरान्त, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर, सचलदल इकाईयों का क्षेत्राधिकार/भौगोलिक सीमायें अधिसूचित करने सम्बन्धी शासन की पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 89/2015/05(100)/XXVII(8)/02, दिनांक 10.08.2015 एवं संख्या 964/2015/05(100)/XXVII(8)/02,टी0सी0, दिनांक 08.12.2015 के क्रम में सचलदल इकाई (ए), रुड़की एवं सचलदल इकाई (बी), रुड़की का अधिकार क्षेत्र निम्नानुसार निर्धारित करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	सचलदल इकाई का नाम	मुख्यालय	जिला	अधिकार क्षेत्र
1.	सचलदल इकाई (ए) रुड़की	संयुक्त जाँच चौकी नारसन	हरिद्वार	जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र
2.	सचलदल इकाई (बी) रुड़की	संयुक्त जाँच चौकी नारसन	हरिद्वार	जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की के क्षेत्राधिकार का समस्त क्षेत्र

2. शासन की पूर्व निर्गत अधिसूचना दिनांक 10.08.2015 एवं 08.12.2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3. शेष सचलदल इकाईयों के क्षेत्राधिकार/भौगोलिक सीमायें अग्रिम आदेशों तक यथावत् रहेंगी।

आज्ञा से,
अमित सिंह नेगी,
सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

03 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 888/बीस–4/2016–4(कारा0)/2016 टी0सी0–2–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय–25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी ग्राम बन्नाखेड़ी, थाना मंगलौर, तहसील रुड़की, हरिद्वार को उप कारागार, रुड़की में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से 02 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह् के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह् के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिये बनायेगा, जिससे इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

आज्ञा से,
विनोद शर्मा,
सचिव।

राजस्व अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

16 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 1044/XVIII(1)/2016–02(9)/2015–श्री राज्यपाल महोदय, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की पत्रावली संख्या SM/28/01/2016, दिनांक 03 मई, 2016 के क्रम में इस कार्यालय ज्ञाप के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से जनपद उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा में स्थित राजस्व ग्राम "गाण्डा वाण्डा" का नाम परिवर्तित कर "बैजकोट" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि इस आदेश की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में, जिसमें अब तक उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या अनिर्णीत किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,
डी0 एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Office Memorandum No. 1044/XVIII(1)/2016-02(9)/2015**, dated August 16, 2016 for general information :

OFFICE MEMORANDUM

August 16, 2016

No. 1044/XVIII(1)/2016-02(9)/2015--In Continution of the Office Memorandum No. SM/28/01/2016, dated 03rd May, 2016, the Governor is pleased to accord sanction to change the name of revenue village "Ganda Wanda" situated in Tehsil Dunda of District Uttarkashi by "Baijkot" with effect from the date of publication of this Office Memorandum in the Official Gazette.

2. The Governor is further pleased to direct that nothing in this Office Memorandum shall affect adversely any legal proceeding already initiated, commenced or pending in any court of law, which has hitherto exercised jurisdiction in respect of said revenue village.

By Order,
D. S. GARBYAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/450–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 ई0 (भाद्रपद 12, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(ON TAKING OVER)

27th July, 2016

No. 3641--This is to certify that the charge of the office of Section Officer in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital was taken over under the order of the High Court *vide* Notification **No. 210/UHC/Admin.(A)2016,** dated 27.07.2016, as herein denoted in the forenoon of 27th July, 2016.

ANURAG KATIYAR,

Relieving Officer.

Countersigned,

Sd/-

KANTA PRASAD,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(ON TAKING OVER)

27th July, 2016

No. 3642--This is to certify that the charge of the office of Private Secretary in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital was taken over under the order of the High Court *vide* Notification **No. 211/UHC/Admin.(A)2016**, dated 27.07.2016, as herein denoted in the forenoon of 27th July, 2016.

JAMBOO KUMAR JAIN,
Relieving Officer.

Countersigned,
Sd/-
KANTA PRASAD,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(ON TAKING OVER)

27th July, 2016

No. 3643--This is to certify that the charge of the office of Private Secretary in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital was taken over under the order of the High Court *vide* Notification **No. 211/UHC/Admin.(A)2016,** dated 27.07.2016, as herein denoted in the forenoon of 27th July, 2016.

AVNEET KUMAR SINGH,
Relieving Officer.

Countersigned,
Sd/-
KANTA PRASAD,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(ON TAKING OVER)

28th July, 2016

No. 3653--This is to certify that the charge of the office of Section Officer in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital was taken over under the order of the High Court *vide* Notification **No. 210/UHC/Admin.(A)2016,** dated 27.07.2016, as herein denoted in the forenoon of 27th July, 2016.

ATULYA MANI TRIPATHI,
Relieving Officer.

Countersigned,
Sd/-
KANTA PRASAD,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(ON TAKING OVER)

28th July , 2016

No. 3654--This is to certify that the charge of the office of Private Secretary in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital was taken over under the order of the High Court *vide* Notification **No. 211/UHC/Admin.(A)2016**, dated 27.07.2016, as herein denoted in the forenoon of 28th July, 2016.

ARTI SINGH,
Relieving Officer.

Countersigned,

Sd/-

KANTA PRASAD,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(ON TAKING OVER)

28th July , 2016

No. 3655--This is to certify that the charge of the office of Section Officer in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital was taken over under the order of the High Court *vide* Notification **No. 210/HUC/Admin.(A),** dated 27.07.2016, as herein denoted in the forenoon of 27th July, 2016.

RAJESH KUMAR SRIVASTAVA,
Relieving Officer.

Countersigned,

Sd/-

KANTA PRASAD,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(ON TAKING OVER)

28th July , 2016

No. 3656--This is to certify that the charge of the office of Section Officer in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital was taken over under the order of the High Court *vide* Notification **No. 210/HUC/Admin.(A),** dated 27.07.2016, as herein denoted in the forenoon of 27th July, 2016.

SANJEEV RAO BHATT,
Relieving Officer.

Countersigned,

Sd/-

KANTA PRASAD,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(ON TAKING OVER)

28th July, 2016

No. 3657--This is to certify that the charge of the office of Section Officer in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital was taken over under the order of the High Court *vide* Notification **No. 210/UHC/Admin.(A)2016,** dated 27.07.2016, as herein denoted in the forenoon of 27th July, 2016.

VIVEK AGARWAL,
Relieving Officer.

Countersigned,

Sd/-

KANTA PRASAD,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(ON TAKING OVER)

28th July, 2016

No. 3658--This is to certify that the charge of the office of Section Officer in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital was taken over under the order of the High Court *vide* Notification **No. 210/HUC/Admin.(A),** dated 27.07.2016, as herein denoted in the forenoon of 27th July, 2016.

PRAKASH CHANDRA PANDEY,
Relieving Officer.

Countersigned,

Sd/-

KANTA PRASAD,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(ON TAKING OVER)

28th July, 2016

No. 3660--This is to certify that the charge of the office of Private Secretary in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital was taken over under the order of the High Court *vide* Notification **No. 211/UHC/Admin.(A)2016,** dated 27.07.2016, as herein denoted in the forenoon of 28th July, 2016.

PRABODH KUMAR,

Countersigned,

Sd/-

KANTA PRASAD,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

July 28, 2016

No. 868/III-A-11/2016/SLSA--Sh. Abdul Qayyum, Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for a period of 15 days *w.e.f.* 24.06.2016 to 08.07.2016 with permission to suffix 09.07.2016 as 2nd Saturday holiday and 10.07.2016 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 28, 2016

No. 869/III-A-13/2016/SLSA--Sh. Hemant Singh, Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi is hereby sanctioned medical leave for a period of 36 days *w.e.f.* 23.05.2016 to 27.06.2016.

By Order of Hon'ble the Executive Chairman,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Member Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL
CHARGE CERTIFICATE

(On superannuation)

August 01, 2016

No. 3716/Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred on retirement after superannuation, as herein denoted in the afternoon of 31st July, 2016.

KANTA PRASAD,

Relieved Officer.

Relieving Officer.

Countersigned,

Sd/-

NARENDRA DUTT,

Registrar (Judicial).

CHARGE CERTIFICATE

(On transfer)

August 01, 2016

No. 3717/Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand Notifications No. 218/UHC/Admn.A/2016, dated July 29, 2016, as herein denoted in the forenoon of 1st August, 2016.

SMT. SUJATA SINGH,

Relieving Officer.

Relieved Officer.

Countersigned,

Sd/-

NARENDRA DUTT,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(On transfer)

August 01, 2016

No. 3719/Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand Notifications No. 216/UHC/Admn.A/2016, dated July 29, 2016, as herein denoted in the forenoon of 1st August, 2016.

NARENDRA DUTT,
Relieving Officer.

Relieved Officer.

Countersigned,

Sd/-

R. K. KHULBEY,
Registrar (Protocol).

CHARGE CERTIFICATE

(On transfer)

August 01, 2016

No. 3720/Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Registrar (Vigilance), High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand, Notifications No. 216/UHC/Admn.A/2016, dated July 29, 2016, as herein denoted in the forenoon of 1st August, 2016.

NARENDRA DUTT,
Relieving Officer.

Relieved Officer.

Countersigned,

Sd/-

R. K. KHULBEY,
Registrar (Protocol).

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over on retirement)

August 01, 2016

No. 3722/Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Bench Secretary, Grade(I), High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred on retirement after superannuation, as herein denoted in the afternoon of 31st July, 2016.

CHANDRA PRAKASH CHAUDHARY,
Relieved Officer.

Countersigned,

Sd/-

NARENDRA DUTT,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(On transfer handing over)

August 01, 2016

No. 3723/Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand Notifications No. 219/UHC/Admn.A/2016, dated July 29, 2016, as herein denoted in the forenoon of 1st August, 2016.

Relieving Officer

SHANKER RAJ,
Relieved Officer.

Countersigned,
Sd/-
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

CHARGE CERTIFICATE

August 01, 2016

(on transfer taking over)

No. 3742/Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand Notifications No. 217/UHC/Admn.A/2016, dated July 29, 2016, as herein denoted in the afternoon of 1st August, 2016.

Relieved Officer

R. K. KHULBEY,
Relieving Officer.

Countersigned,
Sd/-
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

NOTIFICATION

1st August, 2016

No. 220/UHC/XIV-a/38/Admin.A/2015--Sri Ravindra Dev Mishra, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 06 days *w.e.f.* 18.07.2016 to 23.07.2016 with permission to prefix 17.07.2016 as Sunday holiday and suffix 24.07.2016 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

2nd August, 2016

No. 221/UHC/XIV-a/37/Admin.A/2015--Sri Mithilesh Pandey, Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 09.06.2016 to 18.06.2016 with permission to suffix 19.06.2016 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

2nd August, 2016

No. 222/UHC/XIV/55/Admin.A/2003--Sri Nitin Sharma, 1st Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 16 days *w.e.f.* 11.07.2016 to 26.07.2016 with permission to prefix 09.07.2016 & 10.07.2016 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

2nd August, 2016

No. 223/UHC/XIV/39/Admin.A--Sri G. K. Sharma, District & Sessions Judge, Almora is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 11.07.2016 to 25.07.2016 with permission to prefix 09.07.2016 & 10.07.2016 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

2nd August, 2016

No. 224/UHC/Admin.A/2016--In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India and all other powers enabling in that behalf, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following amendment in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of service and conduct) Rules, 1976, applicable to High Court of Uttarakhand, Nainital under U.P. Reorganization Act, 2000:

Amendment in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, as applicable to High Court of Uttarakhand *vide* Section 30 of U.P. Reorganization Act, 2000

Rule No.		Existing Rule	Amendment
8(c)	Review Officer	(1) By Promotion from amongst Assistant Review Officers having three years experience as A.R.O. on the basis of seniority cum suitability	(1) By Promotion from amongst Assistant Review Officers having three years experience as A.R.O. on the basis of seniority subject to rejection of unfit
		(2) By direct recruitment through competitive examination	(2) By direct recruitment through competitive examination
		Notwithstanding anything contained in clause (i) and (ii) above, any R.O. may also be appointed by the Chief Justice as he deems fit and expedient."	Notwithstanding anything contained in clause (i) and (ii) above, any R.O. may also be appointed by the Chief Justice as he deems fit and expedient."

This amendment will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

Registrar General.

NOTIFICATION

August 05, 2016

No. 225/UHC/Admin.A/2016--Sri Chandramani Rai, Chief Judicial Magistrate, Tehri Garhwal is given additional charge of the Court, Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal.

NOTIFICATION

August 05, 2016

No. 226/UHC/Admin.A/2016--Smt. Geeta Chauhan, Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital, *vice* Sri Om Kumar.

NOTIFICATION

August 05, 2016

No. 227/UHC/Admin.A/2016--Sri Man Mohan Singh, Chief Judicial Magistrate, Champawat is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Almora, *vice* Smt. Archana Sagar.

He is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Almora.

NOTIFICATION

August 05, 2016

No. 228/UHC/Admin.A/2016--Smt. Manju Singh Mundey, Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is posted as Chief Judicial Magistrate, Champawat, *vice* Sri Man Mohan Singh.

She is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Champawat.

The order will come into force with immediate effect.

NOTIFICATION

August 05, 2016

No. 229/UHC/Admin.A/2016--Sri Varun Kumar, Additional District & Sessions Judge, Almora is transferred and posted as 4th Additional District & Sessions Judge, Hardwar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

August 05, 2016

No. 230/UHC/Admin.A/2016--Pursuant to Government Notification No. 356/XXX(4)/2016--04(13)/2016, dated 05.08.2016, Smt. Archana Sagar, Chief Judicial Magistrate, Almora, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550--1,230--58,930--1,380--63,070, is posted as 5th Addl. District & Sessions Judge, Hardwar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

August 05, 2016

No. 231/UHC/Admin.A/2016--Pursuant to Government Notification No. 356/XXX(4)/2016--04(13)/2016, dated 05.08.2016, Sri Om Kumar, Civil Judge (Sr. Div.), Ramnagar, District Nainital, on promotion to Uttarakhand Higher Judicial Service in the pay scale of ₹ 51,550--1,230--58,930--1,380--63,070, is posted as Additional District & Sessions Judge, Almora, *vice* Sri Varun Kumar.

The order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,
Sd/-
NARENDER DUTT,
Registrar General.

NOTIFICATION

10th August, 2016

No. 233/UHC/XIV-a/34/Admin.A/2015--Ms. Afiya Mateen, Judicial Magistrate-II, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 03 days *w.e.f.* 27.06.2016 to 29.06.2016.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

August 10, 2016

No. 923/III-A-4/2009/SLSA/2016--In view of the powers conferred under Section-9(3) of the Legal Services Authorities Act, 1987, Rule-12(1) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2015 and pursuant to the recommendation of Chairman, District Legal Services Authority, Champawat, Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is hereby pleased to appoint Smt. Manju Singh Mundey, Chief Judicial Magistrate, Champawat as ex-officio Secretary, District Legal Services Authority, Champawat in addition to her present duties from the date when she assume charge.

By Order of Hon'ble the Executive Chairman,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Member Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/450–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 ई0 (भाद्रपद 12, 1938 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय, जिला पंचायत, नैनीताल

लदान ढुलान उपविधि

16 अगस्त, 2016 ई0

संख्या 2787/इक्कीस–8/2015–16–जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 की 143 के साथ पठित 239(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत, नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक पार्किंग तथा जनसाधारण की सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, लदान–ढुलान एवं ट्रैफिक पार्किंग नियन्त्रित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ सृजित की जाती हैं। धारा 239(2)घ के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक पार्किंग एवं जनसाधारण की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों से लदान–ढुलान करने वाले वाहनों को नियंत्रित एवं नियमित करने के उद्देश्य से और उन पर शुल्क निश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ सृजित की जाती हैं। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी लिखित कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल को प्रेषित कर सकता है। समय अवधि व्यतीत होने पर किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव न होगा।

परिभाषाएँ:

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है;

(ख) "जिला पंचायत" का तात्पर्य जिला पंचायत, नैनीताल से है;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, नैनीताल से है;

(घ) "ग्राम क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित नैनीताल के ग्राम्य क्षेत्र से है;

(ड़) "अपर मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत, नैनीताल के अपर मुख्य अधिकारी से है;

(च) "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य उस सड़क (पुल), सामान्य मार्ग, रास्ते के स्थान से है, जिस पर होकर आने–जाने का जनसाधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारों में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो;

(छ) "वाहन" का तात्पर्य मोटर, व्हीकल ऐक्ट में परिभाषित व्यावसायिक वाहन से है।

लदान–ढुलान की उपविधियाँ

1. यह उपविधियाँ, जिला पंचायत, नैनीताल की लदान–ढुलान (ट्रैफिक पार्किंग एवं जनसाधारण की सुरक्षा एवं सुविधा) उपविधियाँ कहलायेंगी।

2. यह उपविधियाँ जिला पंचायत, नैनीताल के द्वारा विधिपूर्वक पुष्टि होने के उपरान्त सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3. यह उपविधियाँ जनपद नैनीताल के ग्रामीण एवं जिला पंचायत के अन्तर्गत क्षेत्रों में लागू होगी।

परिभाषाएँः–

(क) "ग्रामीण क्षेत्रों/जिला पंचायत क्षेत्रों" का अर्थ, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (ऐक्ट सं0 33, सन् 1961) में दी गयी परिभाषाओं के अनुसार होगी।

(ख) पशु बाजार या मेला या जनसाधारण के उपयोग में आने वाला समस्त सामान, जहाँ से निश्चित् अड्डे बनाकर जिला पंचायत अड्डे संचालित करेंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों/जिला पंचायत अन्तर्गत क्षेत्रों में जहाँ से जनसाधारण उपयोग आने वाला विभिन्न सामान का लदान/ढुलान होगा, वे भी इस क्षेत्र में सम्मिलित होंगे।

(ग) "सार्वजनिक स्थान" का अर्थ, उस स्थान अथवा स्थानों से है, जहाँ जनसाधारण का आवागमन होता है।

(घ) "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य उस सड़क (पुल), सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है, जिस पर होकर आने–जाने का जनसाधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो।

(ड़) "वाहन" का तात्पर्य प्रत्येक यांत्रिक वाहनों से है, जो जिला पंचायत, नैनीताल सीमा के यथाविधि अधिकृत क्षेत्रों में लदान/ढुलान के प्रयोग में चलाये जाते हैं।

1. इन उपविधियों के अन्तर्गत जो भी प्रत्येक वाहन जनपद नैनीताल सीमा के ग्रामीण क्षेत्रों में जन उपयोग के सामान का लदान अथवा ढुलान में चलाया जा रहा हो अथवा उसके इस प्रयोजनार्थ चलाने की शंका हो, उसे तलाशी हेतु इन उपविधियों के निम्न अनुसूची–1 के अनुसार शुल्क भुगतान करने हेतु चेक पोस्ट पर रोका जा सकता है। ऐसे वाहन के मालिक/मालिकों/चालकों को निर्धारित शुल्क के साथ दण्ड की धनराशि का भी भुगतान करना होगा। जो वाहन निर्धारित भुगतान नहीं करेगा अथवा उपरोक्तानुसार रोकने पर निर्धारित अड्डों/स्थानों (चेक पोस्ट) पर नहीं रूकेगा, ऐसे वाहन स्वामी के विरुद्ध अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पुलिस बल का प्रयोग कर सकते हैं।

टिप्पणी–"वाहन मालिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो वाहन चला रहा हो अथवा वाहन में बैठकर उसे नियंत्रित कर रहा हो।

2. जब तक निम्न अनुसूची के अनुसार निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया जायेगा, कोई भी वाहन जिला पंचायत, नैनीताल की सीमा में तथा जिला पंचायत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों से किसी वाहन से लदान–ढुलान नहीं करेगा।

3. जिला पंचायत, नैनीताल, ऐसे स्थान, स्टैण्ड या अड्डों/चेक पोस्ट के निर्धारण की आवश्यक व्यवस्था करेगी तथा वाहन के लदान/ढुलान शुल्क हेतु जिला पंचायत, नैनीताल अड्डा बनायेगी। वाहन से सम्बन्धित व्यक्तियों के पानी पीने के लिए ठण्डे पानी की व्यवस्था करेगी, आवश्यकतानुसार अड्डों/स्थानों पर छाया की व्यवस्था करेगी एवं विभिन्न सामान जैसे–नदियों के किनारे पत्थर, मौरंग रेता की लदान/ढुलान, निकासी/चुगान शुल्क आदि व्यवस्थित करने हेतु रास्तों की समुचित मरम्मत भी करेगी।

4. इन उपविधियों के अन्तर्गत कोई भी वाहन किसी भी समय और किसी गली, मार्गों में जैसे ऊपर कहा गया है, निर्दिष्ट अड्डे के सिवाय जो कि इस उपविधि में वर्णित है, के अलावा खड़ा नहीं करेगा और उसे खड़ा करने हेतु निर्धारित शुल्क भुगतान करेगा।

5. जिला पंचायत, नैनीताल जनसुरक्षा, सुविधा व जनसाधारण की असुविधा को दूर करने हेतु जो भी उचित/आवश्यक समझे, वह गलियों/मार्गों में ऐसे यातायात के नियंत्रण हेतु स्थान निश्चित करेंगे और उसके विषय में आवश्यक हिदायतें जारी करेंगी, जो कि इन उपविधियों के अन्तर्गत सभी वर्णित वाहनों, उनके स्वामी चालकों पर बन्धनकारी होंगे। अड्डों/चेक पोस्ट की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसाधारण की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित करने का अधिकार जिला पंचायत में निहित होगा।

6. जिला पंचायत के अधिकारियों (जिनका वर्णन जिला परिषद् अधिनियम में है) को अधिकार होगा कि वह मोटर व्हीकल ऐक्ट के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारियों को मोटर व्हीकल ऐक्ट के प्राविधानों के उल्लंघनों के बारे में और नियमों के उल्लंघन के बारे में, सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित करें और उचित कार्यवाही की माँग करें।

7. जिला पंचायत, नैनीताल स्टैण्ड या अड्डा या ठहरने का स्थान, जो भी इन उपविधियों में ऊपर वर्णित है, के शुल्क को घटाने या बढ़ाने या किसी विशिष्ट श्रेणी के वाहनों को, किसी विशिष्ट समय या अन्य के लिए छूट दे सकती है। कृषि कार्य के उपयोग में प्रयोग लिये जा रहे वाहन इन उपविधियों के शुल्क से मुक्त होंगे।

8. कथित शुल्क की वसूली, जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या किसी व्यक्ति द्वारा सीधे/शुल्क वसूली कार्य करवा सकती है अथवा किसी निश्चित् अवधि के लिए सार्वजनिक नीलामी/निविदा द्वारा ठेके पर देकर करायी जा सकती है।

टिप्पणी–नीलामी द्वारा ठेके पर ठेकेदार द्वारा वसूली की दशा में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को समाधान रहे, जिसके लिए वह ठेकेदार से नियमानुसार अनुबन्ध तहरीर पंजीकृत करायेगा/करायेगी, जिस पर होने वाला स्टॉम्प का कुल व्यय सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा तथा नीलामी/निविदा/नवीनीकरण करने का अधिकार एवं इस हेतु शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार राजस्वहित में जिला पंचायत, नैनीताल में निहित होगा।

9. जिला पंचायत, नैनीताल की लदान–ढुलान उपविधि शुल्क की दरें निम्नवत् होंगीः–

1.	पीकप, यूटिलीटी आदि	–	₹ 50 प्रति फेरा
2.	मिनी ट्रक/टैंकर/डंफर (4 टॉयर तक)	–	₹ 70 प्रति फेरा
3.	ट्रैक्टर ट्राली	–	₹ 60 प्रति फेरा
4.	ट्रक/टैंकर/डंफर (4 टॉयर से अधिक व 6 टॉयर तक)	–	₹ 100 प्रति फेरा
5.	ट्रक/टैंकर/डंफर (6 टॉयर से अधिक व 10 टॉयर तक)	–	₹ 150 प्रति फेरा
6.	बड़ा ट्रक/टैंकर/ट्रेलर/डंफर (10 टॉयर से ऊपर)	–	₹ 200 प्रति फेरा

10. अध्यक्ष, जिला पंचायत को पूर्ण अधिकार रहेगा कि वह इन उपविधियों को प्रभावी एवं बन्धनकारी करने के लिए हर दशा में इस उल्लंघन को रोकने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों की सहायता ले, जैसा वह उचित समझे, स्वतंत्र रूप से या उल्लंघन के लिए जो दण्ड निर्धारित है, उसका उपयोग करें।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, नैनीताल, यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो ₹ 1,000 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोषसिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाए कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा, ₹ 50 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित किया जाएगा, जो तीन मास तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/450–भाग 3–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 ई0 (भाद्रपद 12, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग

सार्वजनिक सूचना

26 अप्रैल, 2016 ई0

पत्रांक 70/न0ठो0अप0प्र0रू0/सौलिडवेस्ट–उ0/2016–17–नगरपालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग सीमा के अन्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, उपधारा 2, खण्ड (झ) (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2015 की संशोधित उपविधि, 2016 बनायी जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2016

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ–

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग की 'नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2016' कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग के समस्त क्षेत्रों में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
4. परिभाषाएँ–
   (i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं।

(II) "उपविधि" से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

(III) "नगरपालिका परिषद्" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के लिए संगठित नगरपालिका परिषद् से है।

(IV) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(V) "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है। ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(VI) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य मुख्य अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया हो।

(VII) "नियम" से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648 नई दिल्ली, मंगलवार, 03 अक्टूबर, 2000, असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(VIII) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड, नगरपालिका परिषद्, अधिनियम से है।

(IX) "जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegrabable Waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी–फल के छिलके, फूल–पौधों के पत्ते आदि।

(X) "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-Biodegrabable Waste)" का तात्पर्य ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है।

(XI) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable Waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दुबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो, जैसे प्लॉस्टिक, पॉलिथीन, कागज, धातु, रबड़ आदि।

(XII) "जैवचिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical Waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रिया–कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है।

(XIII) "संग्रहण (Collection)" से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(XIV) "कचरा खाद बनाने (Composting)" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(XV) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and Construction Waste)" से सन्निर्माण पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(XVI) "व्ययन (Disposal)" से भू–जल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(XVII) "भूमिभरण (Landfilling)" से भू–जल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अवशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(XVIII) "निक्षालितक (Leachate)" से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

(XIX) "नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal Authority)" से म्युनिसिपल कार्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(XX) "स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority)" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से है।

(XXI) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(XXII) "सुविधा के परिचालक (Operator of a Facility)" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।

(XXIII) "पुनःचक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(XXIV) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(XXV) "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(XXVI) "परिवहन (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन कराना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगरपालिका इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिनमें से एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरों, जो समय–समय पर संशोधित की जा सकेंगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिये जायेंगे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा सम्भव न हो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करेगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक को देना होगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तन) नियम, 1988 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न जलवायेगा।

13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्यय से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठवाने की आवश्यकता समझी जाती है, जो मासिक यूजर चार्जेज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी। यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5 के पूर्णांक में की जायेगी।

16. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

क्र0 सं0	अपशिष्ट एवं अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) की राशि ₹ में			
		जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग कर सड़क तक पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/स्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति घर/स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दें
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	–	05	10	15
2.	कम आय वाले घर	05	10	15	20
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	10	20	25	30
4.	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस	100	200	200	250
5.	धर्मशाला	10	25	40	50
6.	बारातघर	500	1,000	750	800
7.	बेकरी	100	200	125	150
8.	कार्यालय	50	100	50	75
9.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	125
10.	रेस्टोरेन्ट	250	500	200	250
11.	स्कूल, कॉलेज एवं आवासीय शिक्षण संस्थाएँ	100	200	200	200
12.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम	200	400	200	250
13.	मेडिकल स्टोर	75	150	100	125
14.	दुकान	100	200	125	150
15.	वर्कशॉप/कबाड़ी	750	1,500	250	300
16.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150

शास्ति

उपरोक्त उपविधि के किसी भाग का उल्लंघन करने पर पालिका अर्थदण्ड वसूल कर सकेगी, जो सेवा शुल्क की निर्धारित दरों का 10 गुना तक अधिकतम हो सकता है। उपविधि 3 के उल्लंघन पर ₹ 200 प्रतिघन मी0 की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा। निरन्तर उल्लंघन की दशा में ₹ 500 प्रति घन मी0 प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा।

एम0 एल0 शाह,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग।

राकेश प्रसाद,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, रूद्रप्रयाग।

सूचना

बैंक एकाउण्ट में त्रुटि से मेरा नाम NAVEEN JAMS हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम NAVEEN JAMES SANTRAM है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नवीन जैम्स संतराम पुत्र श्री जे0बी0 संतराम
निवासी 71/7, पूर्वावली
गणेशपुर चौक, गणेशपुर, रुड़की,
जिला हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/450–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।